भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	थलगढ डाडों मोटर मार्ग
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	1.8235 है0
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	आरक्षित वन 0.21 है0, वन पंचायत 1.6135 है0
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	बांज,, मोरू, बुरांश, अंयार, उत्तीस, मेहल, पांगर, अखरोट,,अंगू आदि
(i) वन का प्रकार	Lower Temperate 12/C1a (Banj Oak Forest),
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4. भू–क्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–गर्भ वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0.00 किमी0
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	प्रस्तावित परियोजना आरक्षित, वन तथा वन पंचायत भूमि में स्थित होने के कारण प्रस्तावित भूमि वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रस्तावित वन भूमि में बांज, मोरू, काफल, अयांर आदि वृक्ष विद्यमान है तथा गुलदार, काला भालू, , काकड एवं यैलोथ्रोटेड मार्टिन आदि वन्य जन्तुओं का कभी कभार साइटिंग हो जाता है। स्थाई रूप से उक्त वन्य जन्तुओं की उपस्थति नहीं पाई गई।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं

Scanned with CamScanner

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	प्रस्तावित परियोजना स्थल केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 2.3 किमी0 की हवाई दूरी पर स्थित है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	प्रस्तावित वन भूमि में बांज, मोरू, काफल, अयांर आदि वृक्ष विद्यमान है तथा गुलदार, काला भालू, , काकड एवं यैलोथ्रोटेड मार्टिन आदि वन्य जन्तुओं का कभी कभार साइटिंग हो जाता है। स्थाई रूप से उक्त वन्य जन्तुओं की उपस्थति नहीं पाई गई।
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	प्रस्तावित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :– आरक्षित वन 0.21 है0, वन पंचायत 1.6135 है0
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	हाँ
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	लागू नहीं
9. किए गए अतिक्रमण के ब्योरें : (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	प्रयोक्ता एजेन्सी / विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	लागू नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	लागू नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	संलग्न है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल वन भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें।	भदूडा सिविल वन भूमि

Scanned with CamScanner

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	बांज, मोरू, काफल, मेहल, पइया, आदि स्थानीय प्रजातियां।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	12.30 लाख रू0
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है।
11– वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	उप वन संरक्षक, केदारनाथ की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण की जनहित में संस्तुति की जाती है।

स्थानः गोपेश्वर

तारीख 05/04/2023

हस्ताक्षरी नाम व शासकीय मुद्रा
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर(चमोली)

Scanned with CamScanner